

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 1664 / 11-सी-FP/UP/Others/35896/2018, लखनऊ, दिनांक: फरवरी 22, 2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,  
लखनऊ मण्डल,  
लखनऊ।

विषय:- जनपद-सीतापुर में सिधौली बिसवां मार्ग (एम0डी0आर0-23सी) किमी 05 से 06 के मध्य ग्राम-कान्हामऊ, परगना बाडी, तहसील-सिधौली, जिला-सीतापुर के खसरा संख्या-455 पर माई इको एनर्जी प्रा0लि0 द्वारा एमेनिटी सेन्टर स्थापित करने हेतु सम्पर्क मार्ग के निर्माण में प्रभावित 0.038668 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 01 वृक्ष के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक-3579/14-10-4, दिनांक 31.01.2019

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि प्रस्ताव में संलग्न पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता दि0 31.12.2018 को समाप्त हो चुकी है। अतः बढी हुई वैधता का संशोधित पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या-1664/11-सी-FP/UP/Others/35896/2018, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग, सीतापुर।
2. माई ओन इको एनर्जी प्रा0लि0, 307, 308, 3-पलोर, साइबर हाइट, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के सामने, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ0प्र0, लखनऊ।